



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 18.06.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-मुकदमें में फंसाने की धमकी देने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2024 को वादी निवासी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी को मुकदमे में फैसला कराने के दबाव बनाने व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0 -211/2024 धारा 388/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र पंवार थाना कांठ द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-संदीप पाल पुत्र बिजेपाल निवासी ग्राम दबोईकलां थाना असमोली जनपद सम्भल 2-संजीव मलिक पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम हरियाना थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।



2-शान्ति भंग करने में 15 गिरफ्तार थाना मझोला:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मझोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.06.2024 को 15 आरोपीगण 1-अनिल पुत्र बाबू लाल नि० रूपपुर थाना कुंदरकी जिला मुरादाबाद हाल नि० कंजीवाली नया गांव थाना मझोला जनपद मुरादाबाद 2-मयंक उर्फ मन्नू पुत्र प्रमोद कुमार 3-देशपाल पुत्र स्व० सुखीराम 4-धीरेन्द्र पुत्र सोमपाल 5-आयुष पुत्र अरविन्द निवासी लाकड़ी थाना मझोला जिला मुरादाबाद 6-संजय कुमार पुत्र श्री रामशरन सिंह नि० काशीराम नगर ट्रिपलस्टोरी थाना मझोला जिला मुरादाबाद 7-रियासत पुत्र सराफत निवासी मौ० भूडा गेट सैफनी थाना सैफनी जनपद रामपुर हाल निवासी तिकोनिया मस्जिद जयन्तीपुर मीनानगर थाना मझोला जिला मुरादाबाद 8-अनिल सैनी पुत्र राजवीर नि० ग्राम मिलक खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद 9-राहुल सैनी पुत्र श्याम लाल नि० ग्राम मिलक खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद 10-विजय सैनी पुत्र राम कुवर सैनी नि० ग्राम मिलक खदाना थाना मझौला जनपद मु०बाद 11-बबलू पुत्र हरस्वरूप सिंह नि० ग्राम मिलक खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद 12-राशिद सलमानी पुत्र कल्लन नि० ग्राम खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद 13-अनसार सलमानी पुत्र कल्लन नि० ग्राम खदाना थाना मझौला जनपद मु०बाद 14-मेंहदी हसन पुत्र कल्लन नि० ग्राम खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद 15-जुनैद आलम पुत्र निशार अहमद नि० ग्राम खदाना थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



3-अवैध चाकू के साथ 01 गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को उ0नि0 श्री जगमाल सिंह थाना मैनाठेर द्वारा हमराही पुलिस बल के अभियुक्त अजीम उर्फ काला पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा सम्भल थाना कोतवाली सम्भल जिला सम्भल को 01 अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-203/2024 धारा -4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।



4-अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैध शराब के निर्माण, बिक्री/तस्करी पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-फहीम पुत्र मुस्तकीम नि0 मौ0 बेगम सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल 2-गुलशाद पुत्र असलम नि0 मौ0 मिया सराय थाना कोतवाली सम्भल जिला सम्भल को 02 किलो यूरिया व एक जरिकेन में करीब 10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 02 मग प्लास्टिक बरामद किये गये । इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-204/2024 धारा -272 भादवि व 60 Ex Act पंजीकृत किया गया है।



5-मारपीट, गाली गलौज, जानलेवा हमला व जान से मारने की धमकी देने के 12 अभियुक्त को थाना भगतपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 17/18.06.2024 की रात्रि में वादी निवासी थाना भगतपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके चचेरे भाईयों के साथ मारपीट व जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने आदि के सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर सूचना दी। उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना भगतपुर मु0अ0सं0-165/2024 धारा 147/149/323/504/506/307/336 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.06.2024 को थाना भगतपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-इलयास पुत्र अख्तर
- 2-भूरा पुत्र अख्तर हुसैन
- 3-नदीम पुत्र जाकिर हुसैन
- 4-बसीम पुत्र जाकिर हुसैन
- 5-फकीरा पुत्र सद्दीक
- 6-महफूज पुत्र बाबू हुसैन
- 7-मुस्लिम पुत्र इरशाद उर्फ रिकसद अली
- 8-राशिद पुत्र इरशाद उर्फ रिकसद अली
- 9-मुनाजिर पुत्र मौ० जहूर हुसैन
- 10-अनस पुत्र फकीरा
- 11-इमरान पुत्र गुफरान समस्त निवासीगण ग्राम उदमावाला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
- 12-मौ० इवदेशाम पुत्र मौ० इन्तखाव निवासीगण ग्राम सुरजपुर थाना टांडा जनपद रामपुर



पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 165/2024 धारा 147/149/323/504/506/307/336 भादवि0 थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-कृष्ण कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
- 2-उ0नि0 श्री विनेश कुमार थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
- 3-उ0नि0 श्री राजकुमार नैन थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
- 4-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
- 5-हे0का0 दीपक थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

6-हे0का0 मोनू थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद व हे0का0 विनोद कुमार थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

6-परिवार परामर्श केन्द्र/नारी उत्थान केंद्र मुरादाबाद के अथक प्रयासों से पति-पत्नी के 03 विवादित जोड़े आपसी कलह भुलाकर साथ रहने को हुए सहमत।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पर्यवेक्षण में प्रभारी नारी उत्थान केन्द्र की अध्यक्षता तथा तथा अनुभवी परामर्शदाताओं श्री एम0पी0 सिंह, श्रीमती नीलिमा सिंह के माध्यम से परिवार परामर्श केन्द्र/नारी उत्थान केन्द्र, पुलिस लाईन मुरादाबाद में दिनांक 18.06.2024 को पति-पत्नी सम्बन्धित पारिवारिक विवादों की काउंसलिंग के दौरान 03 प्रार्थना पत्रों में पक्षों की सहमति से सुलह समझौता कराया गया। सभी प्रार्थना पत्रों में दोनों पक्षों की पारिवारिक समस्याओं को सुनते हुए आपसी सहमति से समझौता कराया गया। दोनों पक्षों द्वारा आपस में एक-दूसरे को विश्वास दिलाया गया कि हम दोनों नवजीवन की नई शुरुआत करते हुए हसी-खुशी अपना जीवन यापन करेंगे। परिवार परामर्श द्वारा सभी जोड़ों को नवजीवन की शुरुआत की शुभकामनायें देते हुए समझाया गया कि बीती बातों को लेकर विवाद नहीं करेंगे और आपस में प्यार से रहेंगे।

